न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा , I.A.S.

प्रकरण संख्या –48/2018 (प्रार्थना पत्र)

1. चन्द्रकला पत्नि स्व. श्री योगेन्द्र पुत्री बजरंगलाल जाति माली निवासी बम्बूलिया माताजी तहसील अन्ता जिला बारां राज0
2. किरण पुत्र स्व0 योगेन्द्र नाबालिग जरिये माता चन्द्रकला पत्नि स्व0 योगेन्द्र पुत्री बजरंगलाल जाति माली निवासी बम्बूलिया माताजी तहसील अन्ता जिला बारां राज0

––प्रार्थी.

बनाम

1. केसरीलाल आत्मज लटूरलाल जाति माली निवासी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थन

–––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर0टी0ए0 बमुकदमें चन्द्रकला बनाम केसरीलाल वगै0 रजस्व वाद सं0 /2016 अन्तर्गत धारा 88–89–53– आर0टी0एक्ट प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सं0 57/2016 न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

उपस्थिति

1. श्री विरेन्द्र कुमार राठौर, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री तंवर सिंह, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1

निर्णय

दिनांक– 17.12.2019

1. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 रा0टी0ए0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया बम्बूयिला माताजी तहसील अन्ता जिला बारां में अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अपने पीहर में निवास करती है, प्रार्थी के पति का इन्तकाल हो गया और इन्तकाल के पश्चात प्रार्थीया के ससुराल वालों ने प्रार्थीया को निकाल दिया, जब से ही पीहर में निवास कर रही है । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में उनवानी केसरीलाल बनाम चन्द्रकला व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत लम्बित है । प्रार्थीया उक्त वाद में अपना जवाब प्रस्तुत कर चुकी है, उक्त वाद प्रार्थीया के ससुर केसरीलाल ने प्रार्थीया की ग्राम खैराबाद में स्थित आराजी नम्बर 2544 व खसरा नम्बर 2545 जो कि प्रार्थीया के पति योगेन्द्र की स्वअर्जित भूमि थी और उसका फौती इन्तकाल पति व योगेन्द्र की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण के नाम खोला गया, और उक्त आराजी पर प्रार्थीया काबिज है । प्रार्थीया के ससुर केसरीलाल ने उक्त आराजी को स्वयं के द्वारा पुत्र के नाम खरीदना बताकर प्रार्थीगण के विरूद्व कब्जा ना लेने की सहायता को लेकर प्रस्तुत किया है । प्रार्थीया के ससुर केसरीलाल व अन्य लेठ व देवर महेन्द्र कुमार व पुष्पेन्द्र ने मिलीभगत करके प्रार्थीया की आराजी को बदलने के लिये 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है । जिसमें उपरोकत व्यक्तियों ने यह जानते हुये की प्रार्थीया बम्बुलिया कलां रहती है और

जिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया का पता स्वयं का पता लिखकर न्यायालय के सम्मन पर प्रार्थीया के कूटरचित हस्ताक्षर कर तामिल करवा दी तथा लोक अदालत में एक फर्जी शपथ पत्र जिसमें प्रार्थीया के कूटरचित हस्ताक्षर कर राजीनामा से प्रार्थीया की आराजी को अन्य देवर जेठ की आराजी में बदलने हेतु 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में आदेश प्राप्त कर लिये । प्रार्थी को जब जानकारी हुई तो अपील की और स्थगन प्राप्त किया, उसके पश्चात प्रार्थीया ने न्यायालय में 406,420,467,468,120–बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत इस्तगासा पेश किया जो पुलिस थाना रामगंजमण्ड कोटा में जांच हेतु भेजा कया जिस पर केसरीलाल व अन्य दौनों पुत्रों ने पुलिस से मिलीभगत करके एफ.आर. लगवा दी और न्यायालय में एफ.आर. को नामन्जूर कर पुलिस अनुसंधान हेतु भेज दिया और वर्तमान में अनुसंधान लम्बित है । प्रार्थीया जब जब भी न्यायालय में उपस्थित होती है तो अप्रार्थी केसरीलाल व उसके दौनों पुत्र प्रार्थी को धमकी देते है कि फौजदारी मुकदमा वापस ले ले नहीं तो तेरे को खत्म कर देंगे, प्रार्थीया विधवा व अकेली महिला है, जिसे बम्बूलिया कलां से रामगंजमण्डी जाना पडता है, जिससे उसे पूर्ण रूप से असुरक्षा भी है व कठिनाई भी होती है, इसलिये उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी से माननीय न्यायालय के क्षैत्र में स्थित किसी भी अन्य उपखण्ड अधिकारी के यहां स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी से स्थानान्तरित करने की कृपा करें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से वकील अप्रार्थी उपस्थित । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीया विधवा है, जो वर्तमान में अपने पीहर ग्राम बम्बूलिया माताजी तहसील अन्ता जिला बारां में निवास करती है,प्रार्थीया के पति का इन्तकाल हो गया है, इन्तकाल के पश्चात प्रार्थीया के ससुराल वालों ने प्रार्थीया को निकाल दिया है जब से ही पीहर में अपनी 15 वर्षीय पुत्री के साथ निवास कर रही है । प्रार्थीया व उसके ससुराल वालों के मध्य एक वाद उपखण्ड अधिकारी न्यायालय रामगंजमण्डी में विचाराधीन है । जिसमें प्रार्थीया को ग्राम बम्बूलिया से रामगंजमण्डी जाना पडता है । प्रार्थीया ने ससुराल वालों के विरूद्व एक इस्तगाशा धारा 406,420,467,468,120–बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत पेश किया था जो जैर अनुसंधान है । जब प्रार्थीया पेशी पर रामगंजमण्डी जाती है तो केसरीलाल व उसके दौनों पुत्र प्रार्थीया को फौजदारी मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी देते । प्रार्थीया को रामगंजमण्डी जाने में जान का खतरा है । अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रामगंजमण्डी में विचाराधीन वाद को अन्यत्र राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित कराने की कृपा करावें ।

4. वकील अप्रार्थी–1 द्वारा कथन किया गया कि रेस्पो0 नं0 1 राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके है, तथा काफी वृद्व है एवं लगवे की बिमारी के शिकार है, यदि उक्त वादकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थी को काफी असुविधा होगी । जिस भूमि का विवाद है वह रामगंजमण्डी की है, अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें ।

5. हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया, जिससे जाहिर आया है कि प्रार्थीया एक विधवा है जो वर्तमान में अपने पीहर ग्राम बम्बूलिया तहसील अन्ता

निवा कलेक्टर

Scanned by CamScanner

में निवास करती है, हम वकील प्रार्थीया के द्वारा बताई गई परिस्थितियों से सहमत है, तथा एक विधवा महिला की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में विचाराधीन वाद पत्र उनवान केसरीलाल बनाम चन्द्रकला वगै0 अन्तर्गत धारा 88,89,188 वाद संख्या 1694/2016 एवं टी.आई 212 सं0 57/2016 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित समझते है ।

6. अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में विचाराधीन वाद पत्र उनवान केसरीलाल बनाम चन्द्रकला वगै0 अन्तर्गत धारा 88,89,188 वाद संख्या 1694/2016 एवं टी.आई 212 सं0 57/2016 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा से न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)कोटा में स्थानान्तरित करने के आदेश दिये जाते है । उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण सहायक कलक्टर (मु0) कोटा में सुनवाई हेतु शीघ्र भिजवाया जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner